

अति आवश्यक/ अति महत्वपूर्ण / फैक्स के माध्यम से आज ही

पत्र सं०-एडी०कमि०(प्रशा०)(2017-18)//

05

//वाणिज्य कर


कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(एडी०कमि० प्रशासन कैम्प)

लखनऊ: दिनांक//26 अप्रैल// 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया अधिकारियों / कर्मचारियों के संपत्ति विवरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी मुख्यालय के आदेश एवं विभिन्न दिवसों पर दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के क्रम में इस बात का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि आप के जोन सभी कर्मचारी वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा त्रैयकिक सहायक ग्रेड-1 एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 द्वारा अपने सम्पत्ति विवरण उपलब्ध करा दिये गये हैं, को मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्त कर्मचारियों में से यदि किसी कर्मचारी द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है तो अतन्ना नाम अवगत कराते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने की सूचना एवं अप्रैल माह के अन्त में जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत करते हुए आज ही सांयकाल 03:00 बजे तक फैक्स (नं०-2306072)के माध्यम से प्रमाण पत्र / सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश